



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 14/2025/D-168

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 260229 दिनांक 08/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Chhoti Lal Sharma S/o Bhonri Lal Sharma एवं Mohan Lal Sharma S/o Let Moti Lal Sharma एवं Jay Narayan Sharma S/o Moti Lal Sharma एवं Raju Lal Sharma S/o Moti Lal Sharma एवं Ladu Ram Sharma S/o Moti Lal Sharma एवं Babulal Sharma S/o Moti Lal Sharma	श्रीमती मूली एवं श्री छोटीलाल पुत्र श्री भौरीलाल, श्रीमती कमला पत्नि श्री मोतीलाल एवं अन्य	14/OF/52 7	300.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-14) Sector/Block- OF	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E- Patta)	पंजीकृत हकत्याग, पंजीकृत बंटवारानामा एवं पंजीकृत शुद्धि पत्र, विनिमय पत्र आदि। (भूखण्ड संख्या 14/ओ.एफ./424 के स्थान पर 14/ओ.एफ./527) का विनिमय किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Chhoti Lal Sharma S/o Bhonri Lal Sharma एवं Mohan Lal Sharma S/o Let Moti Lal Sharma एवं Jay Narayan Sharma S/o Moti Lal Sharma एवं Raju Lal Sharma S/o Moti Lal Sharma एवं Ladu Ram Sharma S/o Moti Lal Sharma एवं Babulal Sharma S/o Moti Lal Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
नोट: कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे।
2. राक्षित पत्रावली। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।